निगरानी 1303-PBR-15

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल , ग्वालियर संभाग भोपाल

प्रकरण कमांक –

प्रमोद कपलिश आ0 श्री के. कपलिश
आयु – 49 वर्ष
निवासी – 58. 59 शिवालय सनखेडी कोलार रोड भोपाल — आवेदक / रीविजनकर्ता

विरूद्ध

01. शासन
02. मेसर्स प्रियदर्शनी कंस्ट्रक्शन
द्वारा प्रो. प्रदीप शर्मा आ0 गौरी शंकर शर्मा
निवासी – ई–7 / 246 अरेरा कालोनी भोपाल

03. श्रीमती किर्ती विजय पत्नी गोपाल विजय
श्रीमती सुशीला पत्नी सुरेश चौधरी नि. ई 7 / 313
अरेरा कालोनी भोपाल

अनावेदक / प्रतिप्रार्थी

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी / रीविजन आवेदन अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 भुराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय ,

रीविजनकर्ता / आवेदक द्वारा यह रीविजन राजस्व निरीक्षक ग्राम बावडिया कला तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा सीमाकंन प्रकरण 68 / अ – 12 / 2014–15 में दिनांक 22 / 02 / 15 को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के विरूद्व दुखित एवं असंतुष्ठ होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्य एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1303–पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के समक्ष उभय पक्ष अनुपस्थित । राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन में स्वयं स्पष्ट उल्लेख किया है कि नक्शे में पृथक–पृथक बटान कायम नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता है । अतः स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न ही नहीं हुई है तथा जो भी कार्यवाही हुई है, वह अर्थहीन है । अतः ऐसी कार्यवाही जो सम्पन्न होना मानी ही नहीं गई है, के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	